न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायालय–सह–विशेष न्यायालय,सीवान।

आन्दर थाना कांड संख्या–209 / 2020

14.07.2021 आन्दर थाना कांड संख्या–209 / 2020 अंतर्गत धारा 341,323,386,307,504,506 / 34 भा.दं.वि., धारा 27 शस्त्र अधिनियम एवं धारा 3(i) (r) (s) अनु.जा.ज.जा. अधिनियम में काराधीन अभियुक्त मो0 तैश अली उर्फ कैफ अली की ओर से दाखिल जमानत आवेदन पर वाट्सएप के माध्यम से ऑनलाइन सुनवाई करते हुए आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री रिजवान अहमद एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक श्री भागवत राम को सुना एवं अभिलेख तथा कांड दैनिकी का अवलोकन किया।

प्राथमिकी के अनुसार सूचक कन्हैया साह का मुख्य रूप से आरोप है कि दिनांक 08.12.2020 को शाम 6 बजे ये गायघाट स्थित अपना किराना दूकान चला रहे थे तभी मो0 नौसेर अली,मो0 तैस अली,मो0 अजहररूदीन अली, मो0 हनिफ अली उर्फ नेपाली एवं रेयाजुद्दीन नाजायज मजमा बनाकर आये और जातिसूचक गाली देते हुए बोले कि यहॉ दूकान चलाने हेतु एकलाख रूपया रंगदारी मॉगा गया था जो नहीं दिया है, इसे जान से मार दों। इस पर तैस अली हाथ में लिये देशी कट्टा से सूचक पर फायर किये जो उसके छाती,गाल एवं चेहरे पर लगा। इस बीच सूचक का चचेरा भाई जितेन्द्र साह बचाने आया तो मो0 नौसेर अली कमर से देशी पिस्टल निकालकर जितेन्द्र साह के मुॅह पर चला दिया, जिससे जितेन्द्र साह के मुॅह में गोली लगी और वह जख्मी होकर गिर गया। तब मो0 अजहरूद्दीन हाथ में लिये देशी कट्टा चलाया जो जितेन्द्र साह के चेहरे पर लगा। इस बीच अगल–बगल के लोग एवं घर की औरतें विरोध करने लगे तो मो0 हनीफ अली उर्फ नेपाली हथियार चमकाते हुए फायर करने लगा जिससे सभी लोग दहशत में आ गये तब मो0 अजहरूद्दीन अली व रियाजुद्दीन अली बोले कि काम हो गया, दो गोड़ मर गया। अब अन्य दुकानदार डर कर रंगदारी देंगे। जख्मियों को अस्पताल लाया गया जहॉ से जख्मी जितेन्द्र साह को बेहतर इलाज हेतु पी.एम.सी.एच. पटना रेफर कर दिया गया, जहॉ वे जीवन मरण से जूझ रहें है।

आवेदक अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है तथा इसने कोई अपराध नहीं किया है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध जान मारने के नितयसे मारपीट करने का आरोप नहीं है तथा जातिसूचक गाली गलौज करने का भी आरोप किसी व्यक्ति विशेष के विरूद्ध नहीं है। इस तरह आवेदक के विरूद्ध धारा 307 भा.द.वि. अथवा विशेष अधिनियम का आरोप नहीं बनता है और धारा 386 भा.दं.वि. का आरोप मुकदमा को गम्भीर बनाने के उदेश्य से लगाया गया है। इनका यह भी तर्क है कि सूचक एवं उसका चचेरा भाई गॉव में अवैध रूप से गॉजा बेचने का काम करते थे, जिसका आवेदक विरोध करता था। इसी कारण इसे इस केस में झूठा फॅसायागया है।

14.07.21 आवेदक दिनांक 16.12.2020 से कारा में है। अतः उक्त के आलोक में उन्हें जमानत पर मुक्त करने का प्रार्थना किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया तथा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक अभियुक्त के विरूद्ध सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक को दूकान चलाने हेतु रंगदारी में एक लाख रूपया नहीं देने के कारण सूचक एवं उसके चचेरे भाई के उपर देशी कट्टा से फायर कर जख्मी करने का आरोप है तथा आवेदक के विरूद्ध देशी कट्टा से फायर कर सूचक को जख्मी करने का स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप है। अनुसंधान के दौरान कांड दैनिकी की कंडिका 3 में वादी ने अपने पुनःवयान में तथा कंडिका 7 एवं 8 में प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों एवं कंडिका 29 में जख्मी साक्षी जितेन्द्र साह ने प्राथमिकी की घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। कंडिका 50, 56 एवं 57 में दोनों जख्मियों के जख्म प्रतिवेदन उल्लेखित है जिसमें जख्मी सूचक के शरीर पर गोली का छर्रा लगा जख्म पाया गया है तथा जख्मी जितेन्द्र साह के गाल एवं कान के पिछले हिस्से पर गोली से लगे जख्म के कारण हड्डी में फ्रैक्चर होना चिकित्सक द्वारा पाते हुए उक्त जख्म को गम्भीर प्रकृति का होना पाया है। अभिलेख पर जख्मी जितेन्द्र साह का पी.एम.स.एच पटना में किये गये इलाज का पूर्जा मौजूद है जिसके अनुसार जख्मी जितेन्द्र साह का पी.एम.सी.एच. में दिनांक 09.12.2020 से 19.12.2020 तक गोली लगने से कारित जख्म का इलाज हुआ है। इनका यह भी तर्क है कि आवेदक के विरूद्ध मामले में आरोप पत्र समर्पित हो चुका है तथा मामले के अन्य नामजद सह अभियुक्तों का जमानत पूर्व में इस न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किया गया है। अतः अपराध की गम्भीरता को देखते हुए दाखिल जमानत आवेदन को खारिज करने की प्रार्थना की गयी।

उपरोक्त तर्को,तथ्यों,परिस्थितियों, आवेदक के मामले के नामजद अभियुक्त होने, इनके विरूद्ध अन्य सह अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक से दूकान चलाने हेतु रंगदारी में एक लाख रूपया नहीं देने के कारण देशी कट्टा से फायर कर सूचक एवं उसके चचेरे भाई जितेन्द्र साह के जख्मी करने तथा इनके विरूद्ध सूचक पर गोली फायार कर जख्मी करने के स्पष्ट एवं विशिष्ट आरोप के समर्थन में अनुसंधान के दौरान कांड दैनिकी में संकलित साक्ष्य एवं जख्मी सूचक के शरीर पर गोली लगने का जख्म पाये जाने तथा जख्मी जितेन्द्र साह के गाल एवं कान के पिछले हिस्से पर लगे गोली के जख्म को चिकितसक द्व ारा गम्भीर प्रकृति के पाये जाने, के तथ्य को दृष्टिगण रखते हुऐ इन्हें जमानत पर छोड़ना उचित प्रतीत नहीं होता है। तद्आलोक में आवेदक अभियुक्त मो0 तैश अली उर्फ कैफ अली की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित

ह0/–

विशेष न्यायाधीश,सीवान